मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग भोपाल

ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

भोपाल दिनांक 18 सितम्बर 2006

क्रमांक 2306– म.प्र.विनिआ – 2006 – विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 57 (1) तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 की धारा 35 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा क्रमांक 2320 दिनांक 26 सितम्बर, 2005 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) विनियम 2004 (प्रथम संशोधन, 2005) में निम्न परिवर्धन/संशोधन करता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) विनियम, 2004 (प्रथम संशोधन, 2005) में तृतीय परिवर्धन/संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :

(i) ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) विनियम, 2004 (पुनरीक्षण प्रथम, 2005) (तृतीय संशोधन) (क्रमांक ए [आर जी. – 8 (I)] (iii), वर्ष 2006)"** कहे जावेंगे ।

(ii) ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

(iii) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. विनियम 5 में परिवर्धन

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (पुनरीक्षण प्रथम, 2005) जिसे इसके बाद **प्रधान विनियम** कहा जावेगा, **अनुच्छेद 5.5** के बाद, निम्न **अनुच्छेद 5.6** जोड़ा जावे, अर्थात :

"5.6 अनुज्ञप्तिधारी उसके मुख्यालय स्थित केन्द्रीय फ्यूज ऑफ काल केन्द्र पर कंपनी क्षेत्र में कहीं भी स्थित उसके उपभोक्ताओं की शिकायतों की प्राप्ति हेतु एक दर (टॉल) मुक्त दूरभाष संयोजन प्रदान करेगा ।"

3. विनियम 6 में संशोधन

प्रधान विनियम के **अनुच्छेद 6.6** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :

"6.6 वितरण ट्रांसफार्मर (यथा, 11/0.4 केवी अथवा 33/0.4 केवी, जैसा लागू हो), विद्युत प्रदाय की प्रतिस्थापना हेतु ट्रांसफार्मर को बदलने संबंधी कार्यवाही, अनुज्ञप्तिधारी निम्न दर्शाई गई समय–अवधि के भीतर करेगा :

(i) राजस्व संभाग मुख्यालय स्थित समस्त नगरों में शिकायत प्राप्ति के 12 घंटे के अन्दर ।

(ii) उपरोक्त (i) में दर्शाये गये शहरी क्षेत्रों को छोड़कर, अन्य समस्त शहरी क्षेत्रों में शिकायत प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर ।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में, जुलाई, अगस्त, सितम्बर के माह को छोड़कर, 72 घंटे के अन्दर जबकि अतिरिक्त कुल 7 दिवस का समय अनुज्ञेय होगा ।

तथापि, ऐसे उपभोक्ताओं हेतु, जो किसी ट्रांसफार्मर द्वारा एकल उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय किये जाने वाले उपभोक्ता की श्रेणी में आते हों, तथा जिनके विरूद्ध वसूली योग्य बकाया राशि विलंबित हो, ऐसे प्रकरणों में समय अवधियों की गणना ऐसी बकाया राशियों के निपटान की तिथि से की जावेगी ।

4. विनियम 8 में संशोधन

प्रधान विनियम में, **अनुच्छेद 8.1 से 8.2 को** तथा **अनुच्छेद 8.3** जिसे वितरण अनुपालन मानदण्ड विनियम, 2004 (पुनरीक्षण प्रथम, 2005) (प्रथम संशोधन) (क्रमांक ए [आर जी – 8 (i)] (i) वर्ष 2005 को अधिसूचना दिनांक 20 दिसम्बर, 2005 द्वारा संशोधित किया गया है को **निम्न अनुच्छेदों के** द्वारा प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :

"8.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक संभागायुक्त मुख्यालय, जिला मुख्यालय, औद्योगिक विकास केन्द्र से संबंधित 11 केवी फीडरों की मासिक जानकारी समस्त प्रकार से प्रत्येक प्रतिवेदन माह के अन्त से 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध करायेगा :

(i) मुख्यालय स्थित सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को विद्युत प्रदाय कर रहे 11 केवी फीडरों (प्रदायकों) की संख्या

(ii) 11 केवी फीडरों की संख्या, जो प्रभावित हुए हैं

(iii) समस्त फीडरों से अवरोध का योग (घंटों में)

(iv) प्रति फीडर अवरोध अवधि, घंटे तथा मिनटों में

(v) प्रति फीडर अवरोधों की संख्या

(vi) ट्रिपिंग की कुल संख्या (5 मिनट से कम अवधि के व्यवधान)

(vii) प्रति फीडर, ट्रिपिंग की कुल संख्या (5 मिनट से कम अवधि के व्यवधान)

(viii) प्रतिवेदित किये गये क्षेत्र में फीडर विश्वसनीयता सूचकांक (फीडर रिलायबिलिटी इंडेक्स)

फीडर विश्वसनीयता सूचकांक (%) =

$$\frac{\text{(कुल 11 केवी फीडरों की संख्या * माह में कुल घंटों की संख्या) – (समस्त फीडरों की अवरोध अवधि का योग, घंटो में)}}{\text{(11 केवी फीडरों की कुल संख्या * माह में कुल घंटों की संख्या}} * 100$$

8.2 अवरोधों के अर्न्तगत विद्युत प्रदाय ठप्प हो जाना (ब्रेक डाऊन), ग्रिड की विवशताएं, नियोजित रूप से विद्युत प्रदाय को बंद किया जाना अथवा विवशपूर्ण अवरोध सम्मिलित किये जावेंगे । ऐसे स्थानों पर, जहां शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत प्रदाय कर रहे फीडर एक संयुक्त अथवा विभिन्न 33/11 केवी उपकेन्द्रों से उद्भूत हो रहे हों, ऐसे

प्रकरणों में अनुज्ञप्तिधारी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों को सेवा प्रदाय कर रहे फीडरों के समूह के सूचकांकों के मान की गणना पृथक–पृथक करेगा ।

8.3 आयोग द्वारा प्राथमिक तौर पर निम्न विद्युत प्रदाय व्यवधान मापदण्ड निर्धारित किये हैं :

<u>व्यवधान मापदण्डों के स्तर</u> :

	संभागायुक्त (कमिश्नरी) मुख्यालय	*जिला मुख्यालय*	*औद्योगिक विकास केन्द्र*
प्रतिमाह प्रति फीडर, व्यवधानों की संख्या	**5 ***	**25 ***	**5 ***
प्रति घंटों तथा मिनटों में प्रति फीडर अवरोध अवधि	**300 मिनट/5 घंटे ***	**900 मिनट/15 घंटे ***	**300 मिनट/5 घंटे ***
विश्वसनीयता सूचकांक (प्रतिशत में)	**99.5 प्रतिशत**	**98 प्रतिशत**	**99.5 प्रतिशत**

* उपरोक्त दर्शाई गई सीमा तक की व्यवधान अवधियों हेतु आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक न होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी को इस सीमा के बाहर की व्यवधान अवधियों हेतु सुसंगत माह की समाप्ति से 15 दिवस के अन्दर अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।''

5. विनियम 9 में परिवर्धन :

(i) प्रधान विनियम के **अनुच्छेद 9.1** में निम्न पक्तियां जोड़ी जावें, अर्थात् :

''अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक राजस्व संभाग पर (क्षेत्रीय भण्डारों को सम्मिलित कर) अपने प्रचालन क्षेत्र में उपभोक्ताओं की प्रत्येक श्रेणी की कुल उपभोक्ता संख्या के न्यूनतम 1.5 प्रतिशत के बराबर परीक्षण किये गये तथा शुद्ध रूप से कार्य कर रहे मापयंत्रों का भण्डारण सुचारू रूप से बनाये रखेगा ताकि निर्धारित समय–सीमा में जले हुए/दोषपूर्ण मापयंत्रों को बदला जाना सुनिश्चित किया जा सके तथा अनुज्ञप्तिधारी के भण्डार में मापयंत्रों की कमी के कारण कोई नया संयोजन बिना स्वीकृति के न रह पाये । अनुज्ञप्तिधारी अपनी वेबसाईट पर समस्त क्षमताओं के अच्छे मापयंत्रों के भण्डारण की स्थिति प्रदर्शित करेगा । घरेलू तथा गैर–घरेलू निम्न–दाब संयोजनों पर स्थापित किये गये, समस्त मापयंत्रों पर अन्तःक्षेप विहीन पॉलीकारबोनेट बक्से (टेम्पर प्रूफ पॉलिकारबोनेट बॉक्सेज) प्रदाय किये जावेंगे ।''

(ii) प्रधान विनियम में, **अनुच्छेद 9.4** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :

''9.4 अनुज्ञप्तिधारी मापयंत्रों का परीक्षण विद्युत प्रदाय संहिता में 'मीटर' संबंधी अध्याय में दर्शाई गई समयावधि के अनुसार नियतकालिक रूप से करेगा । त्वरित संदर्भ हेतु सुसंगत अनुच्छेद निम्नानुसार उद्घृत किया जाता है :

अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित समय अवधि अनुसार मीटरों का नियतकालिक निरीक्षण/परीक्षण करेगा :

(अ) एकल फेज मीटर : पांच वर्ष में कम से कम एक बार

(ब) *निम्न दाब तीन फेज मीटर : तीन वर्ष में कम से कम एक बार*

(स) *एम डी आई सहित एच टी मीटर : प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार*

जहां संभव हो, सी टी एवं पी टी का परीक्षण भी मीटरों के साथ किया जावेगा

9.4.1 अनुज्ञप्तिधारी स्थल पर मापयंत्रों की जांच करने के बजाय मापयंत्र को हटाया जाकर उसे मान्यता प्राप्त जांच प्रयोगशाला में जांच किये गये मापयंत्र द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने की व्यवस्था कर सकेगा । अनुज्ञप्तिधारी उपयुक्त संख्या में मान्यता प्राप्त जांच प्रयोग–शालाएं स्थापित करेगा अथवा अन्य मान्यता प्राप्त प्रयोग–शालाओं की सेवाओं का उपयोग भी कर सकेगा ।

9.4.2 अनुज्ञप्तिधारी उनकी विद्यमान मीटर (मापयंत्र) जांच प्रयोग–शालाओं को एन.ए.बी.एल. (नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड केलीबेशन ऑफ लेबोरेटरीज) से मान्यता प्राप्त करायेगा, यदि इस संबंध में उसके द्वारा तत्संबंधी कार्यवाही न की गई हो ।

9.4.3 अनुज्ञप्तिधारी स्थल पर उपभोक्ता मापयंत्रों का स्वैच्छिक परीक्षण (रेंडम टेस्टिंग) उपभोक्ता छोर पर स्थापित किये गये मापयंत्रों की उनसे संबंधित शिकायतों को कम करने तथा उपभोक्ता के मापयंत्र के परिशुद्ध होने संबंधी विश्वास बनाये रखे जाने की दृष्टि से उपभोक्ताओं की मासिक खपत की प्रवृत्ति के आधार पर तथा मापयंत्र वाचन डायरियों में कुल खपत अभिलिखित किये गये यूनिटों के विभेदित पाये जाने पर कतिपय उपभोक्ता मापयंत्रों के स्वैच्छिक परीक्षण द्वारा इसका उत्तरदायित्व वहन करेगा ।

9.4.4 अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक त्रैमास में कम से कम मापयंत्रों के न्यूनतम **0.5 प्रतिशत** स्वैच्छिक परीक्षण का उत्तरदायित्व वहन करेगा । अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त दर्शायें गये **अनुच्छेद 9.4** में निर्दिष्ट की गई नियतकालिक अवधि के अनुसार नियतकालिक मापयंत्रों के परीक्षण का उत्तरदायित्व वहन करेगा तथा किसी वित्तीय वर्ष के प्रत्येक मास में एकल फेज के **5 प्रतिशत,** मापयंत्रों तीन–फेज के **8.5 प्रतिशत** मापयंत्रों तथा उच्च–दाब के **20 प्रतिशत** मापयंत्रों का नियतकालिक परीक्षण/प्रमाणीकरण किया जाना सुनिश्चित करेगा । अनुज्ञप्तिधारी मापयंत्र वाचन डायरी के प्रत्येक पृष्ठ पर वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा की गई मापयंत्र की अन्तिम जांच दिनांक यथोचित उसके हस्ताक्षर के अन्तर्गत अभिलिखित किये जाने की व्यवस्था करेगा । उपभोक्ताओं के मापयंत्रों की जांच दिनांक उपभोक्ता मापयंत्र के आवरण पर किसी उपयुक्त चिन्ह द्वारा पेंट की जाकर अथवा उपयुक्त चिपकाई जाने योग्य पर्णी (स्टिकर स्लिप) चिपकाई जाकर प्रदर्शित की जावेगी ।

9.4.5 अनुज्ञप्तिधारी आयोग को त्रैमासिक प्रगति के संबंध में त्रैमास अन्त के एक माह के भीतर उच्च–दाब तथा निम्न–दाब मापयंत्रों के परीक्षण/प्रमाणीकरण की अद्यतन स्थिति के संबंध में इस परिवर्धन के साथ संलग्न परिशिष्ट–9 में भर कर प्रतिवेदित करेगा तथा इस जानकारी को उसके स्वयं की वैबसाईट पर प्रदर्शित करने की भी व्यवस्था करेगा ।''

6. विनियम 10 में परिवर्धन :

प्रधान विनियम में, **अनुच्छेद 10.2** के उपरांत, निम्न **अनुच्छेद 10.3 तथा 10.4** जोड़े जावें, अर्थात्:

''10.3 भार में वृद्धि के प्रकरण

भार में वृद्धि संबंधी आवेदन अनुज्ञप्तिधारी को दो प्रतियों में (जो कि म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता के परिशिष्ट–1 तथा 2 के रूप में संलग्न किये गये हैं) प्रस्तुत किया जावेगा । संविदा मांग में वृद्धि संबंधी आवेदन को उस दशा में स्वीकार नहीं किया जावेगा यदि उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी की बकाया राशि का भुगतान किया जाना शेष बचा हो । तथापि, उपभोक्ता द्वारा देय राशि के भुगतान के संबंध में किसी न्यायालय अथवा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग अथवा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा नियुक्त किये गये किसी प्राधिकारी द्वारा रोक लगाये जाने की दशा में, आवेदन को स्वीकार किया जा सकेगा ।

10.3.1 अनुज्ञप्तिधारी आवेदन प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर, बढ़ी हुई मांग को प्रदाय किये जाने की संभावना के संबंध में परीक्षण करेगा तथा उपभोक्ता को उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही के संबंध में सूचित करेगा ।

10.3.2 यदि बढ़ी हुई मांग को प्रदाय किया जाना संभव हो तो ऐसी दशा में उपभोक्ता :

(अ) उपभोक्ता की स्थापना के संबंध में अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार से कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र (कंपलीशन सर्टिफिकेट) तथा परीक्षण प्रपत्र प्रस्तुत करेगा, उस दशा में जहां पर कि स्थापना में फेरबदल किया जाना निहित हो ।

(ब) यदि अर्हता हो तो, विद्युत निरीक्षक से उपभोक्ता की विद्युत स्थापना के संबंध में अनुमोदन पत्र प्राप्त कर इसे प्रस्तुत करेगा । इसी प्रकार, खानों की विद्युत स्थापना बाबत् अतिरिक्त भार के संबंध में खान निरीक्षक का अनुमोदन प्राप्त कर इसे प्रस्तुत किया जावेगा ।

10.3.3 उपभोक्ता द्वारा, उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सात दिवस के भीतर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक मांग पत्र (डिमाण्ड नोट)/सूचना पत्र (एडवाईस) उसे जारी किया जावेगा यदि ये अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप भुगतान, प्रणाली में की जाने वाली किसी अभिवृद्धि अथवा किसी परिवर्तन तथा प्रणाली सुदृढ़ीकरण प्रभारों अथवा क्षमता निर्माण प्रभारों से, इनके लागू होने की दशा में, संबंधित हों ।

10.3.4 एक अनुपूरक (सप्लीमेंटरी) अनुबंध निष्पादित किया जावेगा जिसे कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को, उपरोक्त समस्त औपचारिकताएं सात दिवस के अन्दर परिपूर्ण कर पंजीकृत डाक से अग्रेषित किया जावेगा ।

10.3.5 यदि प्रणाली में किसी प्रकार के परिवर्धन अथवा परिवर्तन के साथ–साथ किसी प्रकार की नवीन/वैकल्पिक मापयंत्र (मीटरिंग) व्यवस्था की आवश्यकता न हो तो ऐसी दशा में भार वृद्धि को, समस्त वांछित औपचारिकताएं परिपूर्ण कर, जिसमें अनुबंध का निष्पादित किया जाना भी सम्मिलित होगा, को 7 दिवस के अन्दर स्वीकृत किया जावेगा । यदि प्रणाली में किसी प्रकार के परिवर्तन अथवा परिवर्धन की आवश्यकता हो तो ऐसी दशा में किसी नवीन संयोजन की स्वीकृति के संबंध में विनियम में प्रदान की गई समय अवधि लागू होगी ।

10.3.6 'रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)' के प्रकरण में उपभोक्ता को अनुबंध मांग से अधिक अतिरिक्त मांग प्रदान की जावेगी जैसी कि उसके संबंध में अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता के मध्य परस्पर सहमति व्यक्त की जावे तथा जिसके लिये संबंधित उपभोक्ता द्वारा संविदा मांग को परिवर्तित किये जाने के संबंध में 6 सप्ताह की यथोचित सूचना लिखित रूप में प्रस्तुत की गई हो ।

10.4 संविदा मांग में कमी किया जाना :

भार में कमी किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र, प्रारंभिक दो–वर्षीय अनुबंध अवधि की समाप्ति के पश्चात, अनुज्ञप्तिधारी को निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जावेगा । जहां कहीं भी स्थापना में कतिपय परिवर्तन किया जाना निहित हो, वहां सक्षम अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार से प्राप्त किया गया परीक्षण प्रपत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावेगा ।

प्रारंभिक दो–वर्षीय अनुबंध अवधि की समाप्ति के पश्चात, एक उपभोक्ता को उसके संयोजन से संबंधित अनुबंध मांग कम किये जाने की पात्रता होगी तथा इस प्रकार से अनुज्ञप्तिधारी से किया गया कोई अनुरोध, आवेदन तिथि से तीस दिवस के पश्चात प्रभावशील होगा । आवेदित की गई कमी को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देयक में, वह देयक अवधि जो आवेदित तिथि से तीस दिवस के उपरांत आये, यथोचित दर्शाया जावेगा । संविदा मांग में कमी के संबंध में कोई भी अनुवर्ती अनुरोध अनुज्ञप्तिधारी को, न्यूनतम एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात ही किया जा सकेगा । अनुबंध मांग में कोई भी कमी सुसंगत वोल्टेज स्तर के अन्तर्गत अनुज्ञेय न्यूनतम अनुबंध मांग के अध्यधीन होगी ।''

7. विनियम 14 में परावर्धन

प्रधान विनियम में, **अनुच्छेद 14.8** के उपरान्त निम्न **अनुच्छेद 14.9** जोड़ा जावे, अर्थात् :

''14.9 वितरण अनुज्ञप्तिधारी 11 केवी तथा इससे अधिक क्षमता के समस्त अर्न्तमुखी तथा बहिर्गामी फीडरों हेतु ऊर्जा लेखांकन तथा अंकेक्षण मापयंत्र प्रदान करेगा जिससे कि उप–पारेषण प्रणाली के विभिन्न अवयवों में आगमित तथा व्यय की गई ऊर्जा, तथा ऊर्जा की हानि को लेखाबद्ध किया जा सके । ऐसे समस्त मापयंत्रों के मापदण्ड (स्पेसिफिकेशंस), शुद्धता श्रेणी तथा परिस्थापना किया जाना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के दिनांक 17..3.2006 को अधिसूचित मापयंत्रों (मीटरों) के अधिस्थापना तथा प्रचालन संबंधी विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे । अनुज्ञप्तिधारी ऊर्जा अंकेक्षण तथा लेखांकन के प्रयोजन से संस्थापित किये गये समस्त मापयंत्रों का परीक्षण पांच वर्षों में कम से कम एक बार किया जाना तथा किसी भी माह में मापयंत्रों की संख्या का 99.0 प्रतिशत, अनुज्ञेय त्रुटियों के अध्यधीन, कार्यरत रहना सुनिश्चित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी की उप–पारेषण प्रणाली को नवीन स्थापित तथा संयोजित किसी 33 केवी अथवा 11 केवी फीडर से उसके उपयोगिता के छोर पर ऊर्जा प्रेषण को एक ऊर्जा अंकेक्षण मापयंत्र अर्न्तस्थापित किये बिना विद्युतीकृत रूप से प्रभारित नहीं किया जावेगा । अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक त्रैमास हेतु ऊर्जा अंकेक्षण के उद्देश्य से किये गये मापयंत्रण (मीटरिंग) की अद्यतन स्थिति इस परिवर्धन/संशोधन के साथ संलग्न परिशिष्ट–10 के अनुसार प्रतिवेदित करेगा ।''

8. विनियम 15 में संशोधन :

(i) प्रधान विनियम में, **अनुच्छेद 15.5** को निम्नानुसार पुर्नस्थापित किया जावे, अर्थात् :

"**15.5** अनुज्ञप्तिधारी इस विनियम में विनिर्दिष्ट अनुसार क्षतिपूर्ति, इस संबंध में किसी उपभोक्ता से किसी दावे की प्रस्तुति की प्रतीक्षा किये बगैर, ऐसे समस्त प्रकरणों में प्रदान करेगा जहां कि अनुज्ञप्तिधारी इस विनियम के अन्तर्गत अपनी सेवाओं को निर्धारित की गई समय–अवधियों में संपादन करने में असफल रहे ।"

(ii) प्रधान विनियम में, **अनुच्छेद 15.8** की अनुसूची 'अ' के **उप–अनुच्छेद (iii)** तथा **(vi)** जो कि अनुपालन में कमी पाये जाने पर देय क्षतिपूर्ति से संबंधित हैं, को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :–

"

सेवा क्षेत्र	मानदण्ड विस्तृत विवरण हेतु संबंद्ध अध्याय	प्रभावित उपभोक्ता को देय क्षतिपूर्ति
(iii) वितरण ट्रांसफार्मर के असफल होने पर		
संभागायुक्त (कमिश्नरी) मुख्यालयों में ट्रांसफार्मर बदला जाना अथवा विद्युत प्रदाय की पुर्नस्थापना	12 घंटों के अन्दर	किसी विशिष्ट ट्रांसफार्मर से प्राप्त कर रहे समस्त उपभोक्ताओं को उनके देयक में क्षतिपूर्ति प्रति दिवस दो यूनिट विद्युत की दर से देरी बाबत् प्रतिपूर्ति देय होगी, बशर्ते कि वे इस क्षतिपूर्ति प्राप्ति हेतु उसी दशा में अधिकृत होंगे जबकि कोई विशिष्ट उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को भुगतान किये जाने के संबंध में दोषी न हो ।
संभागायुक्त (कमिश्नरी) मुख्यालयों को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बदला जाना अथवा विद्युत प्रदाय की पुर्नस्थापना	24 घंटों के अन्दर	
ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बदला जाना अथवा विद्युत प्रदाय की पुर्नस्थापना	सूखे मौसम में 72 घंटों के अन्दर तथा मानसून के मौसम में (माह जुलाई से सितम्बर तक) 7 दिवस के अन्दर	
(vi) नवीन संयोजन/संविदा मांग में वृद्धि/संविदा मांग में कमी हेतु आवेदन		
निम्न दाब प्रकरण में लक्ष्य से विचलन	जैसा कि इस विनियम के अध्याय 10 में अधिसूचित किया गया है ।	देरी होने पर रू. 25/– प्रति त्रुटि दिवस (अथवा उसका भाग) तथा कुल राशि मासिक देयक के 10 प्रतिशत से अनाधिक अथवा रू. 100/– जो भी कम हो से अधिक न होगी ।
उच्च दाब तथा अतिरिक्त उच्च दाब प्रकरण में लक्ष्य से विचलन	जैसा कि इस विनियम के अध्याय 10 में अधिसूचित किया गया है ।	देरी होने पर रू. 50/– प्रति त्रुटि दिवस (अथवा उसका भाग) तथा कुल राशि मासिक देयक के 10 प्रतिशत से अनाधिक अथवा रू. 100/– जो भी कम हो से अधिक न होगी ।

आयोग के आदेशानुसार,

अशोक शर्मा, उप सचिव